

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन
मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं. 12, केंद्रीय कार्यालय
परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

(आयोग की वेबसाइट: <https://ssc.nic.in> पर दिनांक 20.08.2022 को
अपलोड किए जाने हेतु)

विज्ञप्ति
आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2022

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख	20.08.2022 से 05.09.2022
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	05.09.2022 (2300 बजे)
ऑफ लाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि और समय	05.09.2022 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	06.09.2022 (2300 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	06.09.2022
'आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' और सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान की तिथि	07.09.2022 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	नवंबर, 2022

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा.सं. मु.- नी.एवं यो.॥03(1)/2/2022 -नी. एवं यो.-II: कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के लिए आशुलिपिक श्रेणी 'ग' (समूह 'ख' अराजपत्रित) और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' (समूह 'ग') की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन करेगा। केवल आशुलिपि में कुशलता प्राप्त अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

2. रिक्तियां :

- (क) रिक्तियों की संख्या के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। रिक्तियों की अद्यतन संख्या समय-समय पर आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>>Candidate's Corner>Tentative Vacancy) पर अपलोड की जाएगी।
- (ख) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की रिक्तियां देश भर में विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में हैं।

3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण और उपयुक्तता:

- (क) अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव), भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) और दिव्यांगजन (दि.) इत्यादि अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / संवर्गों द्वारा वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- (ख) आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।
- (ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल समूह 'ग' पदों हेतु विद्यमान सरकारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार रिक्तियां आरक्षित हैं।

(घ) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII, दिनांक 04.01.2021 के अनुसार, आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' पद, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को छोड़कर, निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाए गए हैं :

पद नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी
आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) दृही. , अ.दृ. ख) ब. , श्र.दि ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ. कु. , बौ., ए.ह.पी घ) ऑ.स्पे.वि., वि.अ.अक्ष, मा.रो. ड.) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं
आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) दृही. , अ.दृ. ख) श्र.दि ग) ए.हा., ए.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ. कु. , बौ., ए.ह.पी घ) ऑ.स्पे.वि. (ह), बौ.अ., वि.अ.अक्ष, मा.रो. ड.) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम:

कार्यात्मक आवश्यकता: बै = बैठना, खड़े = खड़ा होना, चल = चलना, झु = झुकना,

प.लि. = पढ़ना और लिखना, दे. = देखना, सु. = सुनना, सं = संचार

शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति: दृही. = दृष्टि हीनता, अ.दृ. = अल्प दृष्टि , ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.हा = एक हाथ, ए.पै. = एक पैर, दो.पै. = दोनो पैर, ए.हा.ए.पै = एक हाथ और एक पैर, प्र.प = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु = अभिसाधित कुष्ठ, बौ = बौनापन, ए.ह.पी

= एसिड हमले से पीड़ित, ऑ.स्पे.वि. = ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार (ह = हल्का, म= मध्यम) . बौ.अ. = बौद्धिक अक्षमता, वि.अ.अ = विशिष्ट अभिगम अक्षमता, मा.रो. = मानसिक रोग, ब.दि. = बहु दियांगताएं (बधिर, दृष्टिहीनता सहित)/ ब.दि= बहु दिव्यांगताएं ।

नोट:- उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए बेंचमार्क दिव्यांगजनों (दिव्या.) के लिए पदों की उपयुक्तता मांगकर्ता मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा प्राप्त छूट, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होगी।

(ड) सीमा सड़क संगठन में आशुलपिक श्रेणी 'घ' के पद के लिए शारीरिक मानदंडों, शारीरिक क्षमता परीक्षाओं और चिकित्सीय मानकों का ब्यौरा **अनुबंध XV** पर उपलब्ध है । अभ्यर्थी सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए विकल्प देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी अपेक्षित मानकों को पूरा करते हैं । अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार पदों का एक बार आबंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा इन मानकों को पूरा न करने पर बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(च) सीमा सड़क संगठन में आशुलपिक श्रेणी 'घ' के पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं ।

4. राष्ट्रीयता/ नागरिकता: अभ्यर्थी या तो

- (क) भारत का नागरिक हो , या
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या
- (ड) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो , जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथिओपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो ।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

5. आयु सीमा:

(क) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' : **01.01.2022** को **18** से **30** वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1992 से पहले और 01.01.2004 के बाद न हुआ हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(ख) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' : **01.01.2022** को **18** से **27** वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1995 से पहले और 01.01.2004 के बाद न हुआ हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(ग) उपरोक्त पैरा 5(क) और 5 (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड नीचे दिए गए हैं :-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
1.	अजा / अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	दि (अना.)	10 वर्ष
4.	दि (अपिव)	13 वर्ष
5.	शादि (अजा / अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष

8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रव ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
केवल समूह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट		
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा / अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं / तलाक शुदा महिलाएं / अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो ।	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं / तलाक शुदा महिलाएं / अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा / अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

(घ) आयु पात्रता के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जन्म तिथि और वही जन्मतिथि मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित होने पर आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी और इसमें परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार / स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ड) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूपूसै श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, यदि उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (आरक्षण) में यथाउल्लिखितानुसार सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद उन विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने के दिनांक-वार ब्योरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वयं घोषित / वचनबंध किया हो जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था, वह अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

(च) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

(छ) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर इस पद / सेवा के लिए आवेदनपत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो या उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

(ज) स्पष्टीकरण: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(क) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर अथवा नियोक्ता द्वारा सेवा निवृत्त या कार्यमुक्त या सेवा मुक्त किया गया हो ;

अथवा

(ii) जिसे ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो ;

अथवा

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो ;

अथवा

(ख) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी शामिल हैं ;

अथवा

(ग) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होने के कारण सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त किए गए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई है ;

अथवा

(घ) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे ;

अथवा

(ङ.) प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओंके वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

(च) भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निशक्तता पेंशन दी गई है।

(छ) एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के समूह 'ग' पद में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अथवा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करते हैं, वे किसी भी पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(ज) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट अनुमत्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

(क) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि. / भूपूसै के संबंध में उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों का प्रारूप संलग्न किया गया है। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) अपिव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता / आती है। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

(ग) अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव/ आकव / दि. / भू.पू.सै

का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

(घ) अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि. स्थिति या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे के लिए निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

7. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता :

(क) दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड, दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। चूंकि यह पद दोनों बांह प्रभावित से पीड़ित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी।

(ख) न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, अनुबंध-I पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

(ग) अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

(घ) यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की [पैरा 15 (छ) पर दी गई सूची के अनुसार] मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध - II पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के अलावा प्रलिपिक द्वारा

हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।

(ड) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

(च) पैरा 7(क) और 7(ख) में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

(छ) परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ज) एक आंख वाले और आंशक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लेंस (मैग्रीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लेंस (मैग्रीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेंस (मैग्रीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लेंस (मैग्रीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लेंस (मैग्रीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

(झ) शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

8. शैक्षिक योग्यता: (05.09.2022 के अनुसार)

- (क) अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।
- (ख) भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री / डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो। तथापि, ऐसी डिग्रियां उस संगत अवधि के लिए मान्यताप्राप्त होनी चाहिए, जब अभ्यर्थी ने उन्हें अर्जित किया हो।
- (ग) भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदानआयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इगू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगी
- (घ) ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और कौशल परीक्षा में अर्हक घोषित किया गया हो, उन्हें दिनांक **05.09.2022** को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में 12 वीं कक्षा पास करने या समकक्ष परीक्षा पास करने के सभी संगत मूल प्रमाणपत्र, जैसे- मार्कशीट, अनंतिम प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर आयोग द्वारा उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कटऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक

योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा । यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कटऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।

(ड) यदि किसी अभ्यर्थी के पास समकक्ष योग्यता है तो ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा ।

(च) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक या उससे पहले अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

9. आवेदन कैसे करें :

(क) आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III और अनुबंध-IV का संदर्भ ले। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुबंध-III A और अनुबंध-IVA के रूप में संलग्न हैं ।

(ख) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए । फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे के होना चाहिए ।

(ग) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के स्वीकार्य / अस्वीकार्य नमूने अनुबंध-XVI में दिए गए हैं।

- (घ) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट / धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (ङ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **05.09.2022 (2300 बजे)** है।
- (च) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- (छ) आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ज) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

10. आवेदन शुल्क :

- (क) देयशुल्क: 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए)।
- (ख) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांगजनों (दि.) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
- (ग) शुल्क का भुगतान भीम यू.पी.आई, नेटबैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से अथवा एसबीआई शाखाओं में नकद जमा करके एसबीआई चालान बनवा करके किया जा सकता है।
- (घ) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक **06.09.2022 (2300 बजे)** तक किया जा सकता है। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **06.09.2022** तक बैंक के कार्य-समय के भीतर भारतीय स्टेट

बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने **05.09.2022 (2300 बजे)** तक चालान बनवा लिया है।

- (ड.) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के निरस्तीकरण पर कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (च) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हो गया है। यदि कर्मचारी चयन आयोग को शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदनपत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉगइन स्क्रीन में मुहैया कराए गए लिंक 'Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन, जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहती है, उनको सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

11. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [07.9.2022 (2300 बजे)]:

- (क) आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 01 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- (ख) किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर

से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (ग) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- (घ) नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
- (ङ.) आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।
- (च) सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- (छ) एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- (ज) संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

12. परीक्षा केन्द्र

(क) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को दर्शाना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते / वेबसाइट
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), पूर्णिया (3209)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.) , कर्मचारी चयन आयोग , 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज -211 001 (http://www.ssc-cr.org)
2.	पोर्टब्लेयर (4802), रांची (4205), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415).	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8 वां तल), 234/4, आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700020 (www.sscer.org)
3.	बेलगवी (9002), बेंगलूरु	कर्नाटक, केरल	क्षेत्रीय निदेशक

	(9001), हुबली (9011), कलाबुर्गी (गुलबर्गी) (9005), मेंगलूरु (9008), मैसूरु (9009), शिवामोगा (9010), उडुपी (9012), एरणाकुलम (9213), कन्नूर(9202), कोल्लम (9210), कोट्टयम(9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212)	क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	(कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग , प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 www.ssckkr.kar.nic.in
4.	बिलासपुर (6202), दुर्ग-भिलाई (6205), रायपुर (6204), भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सागर (6015), सतना (6014), उज्जैन (6016).	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 www.sscmpr.org
5.	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चुडाचन्द्रपुर (5502), इम्फाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजोल (5701), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.)/ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ।	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्टगेट, बेलतला-बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम -781006 www.sscner.org.in
6.	दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), भरतपुर (2403), बीकानेर (2404), जयपुर (2405),	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12,

	जोधपुर (2406), कोटा (2407), सीकर (2411), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), देहरादून(2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार(2005), रुड़की (2006).		सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 (www.sscnr.net.in)
7.	चण्डीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (1007), लेह (1005), अमृतसर (1404), जालंधर (1402)	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) /चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8.	गुंटूर(8001), कर्नूल (8003), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201) , कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), हैदराबाद (8601), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 (www.sscsr.gov.in)
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), राजकोट (7006) , सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214),	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड,

कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	मुंबई, महाराष्ट्र-400020 (www.sscwr.net)
---	---

- (ख) कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिकता के आधार पर एक ही क्षेत्र में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए किए गए अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- (ग) आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

13. परीक्षा की रूप रेखा

- (क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के ब्यौरों का नीचे उल्लेख किया गया है -

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि
I	सामान्य बद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति	50	50	2 घंटे (ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है)
II	सामान्य जानकारी	50	50	
III	अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान	100	100	

- (ख) प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अंग्रेजी तथा हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

(ग) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात को ध्यान में रखें।

(घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-1 दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सूत्र का प्रयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का अंतिम योग्यता सूची और कटऑफ अंकों का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ङ) परीक्षा के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं तथा आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई है, 100 रुपए प्रति प्रश्न, जोकि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय, उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले, आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उक्त विषय पर किसी भी अन्य माध्यम अर्थात् पत्र, आवेदन, ई-मेल, इत्यादि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(च) विज्ञप्ति में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव को केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

(छ) अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए निर्देशात्मक पाठ्यक्रम:

(क) सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, अनुमान लगाना, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या-श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में अमूर्त

विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा।

(ख) सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेलकूद, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती।

(ग) 40 % और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता और प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति / सामान्य जानकारी प्रश्नपत्र में मानचित्र / ग्राफ / आरेख / सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

(घ) **अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान:** अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ की जांच करने के अतिरिक्त, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यादि, उसकी लेखन योग्यता की जांच भी की जाएगी।

(ङ) आशुलिपि में कौशल परीक्षा

- (i) जो अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें आशुलिपि की कौशल परीक्षा में बैठना होगा। अभ्यर्थियों को आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के लिए 100 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) की गति से और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के लिए 80 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) की गति से 10 मिनट के लिए अंग्रेजी / हिन्दी (अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में चुने गए विकल्प के अनुसार) में एक श्रुतलेख दिया जाएगा। इस सामग्री को कंप्यूटर पर लिप्यांतरित करना होगा। लिप्यंतरण के लिए समय निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद	कौशल परीक्षा	समयावधि (मिनटों)	उपर्युक्तपैरा-7 (क) एवं (ख) के अनुसार प्रलिपिक की
---------	----	--------------	------------------	---

		की भाषा	में)	सुविधा पाने के पात्र अभ्यर्थियों के लिए समयावधि (मिनटों में)
1	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	अंग्रेजी	50	70
2	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	हिन्दी	65	90
3	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	अंग्रेजी	40	55
4	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	हिन्दी	55	75

- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जो अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप से सीखनी पड़ेगी, ऐसा न करने पर नियोक्ता विभाग अथवा प्राधिकारी द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं मानी जाएगी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की कौशल परीक्षा का माध्यम जो कोई भी रहा हो, उसे प्रयोक्ता कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अंग्रेजी / हिन्दी आशुलिपिक के रूप में कार्य करना होगा।
- (iii) कौशल परीक्षा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में या आयोग द्वारा यथानिर्णीत अन्य केन्द्र (केंद्रों) पर आयोजित की जाएंगी।
- (iv) कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे।
- (v) कौशल परीक्षा मूल्यांकन के नियम संबंधी मानक अनुदेश आयोग की वेबसाइट के “Candidate’s Corner” भाग में उपलब्ध है।

15. परीक्षा में प्रवेश

- (क) उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोल नम्बर और प्रवेश-पत्र जारी किया

जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद, इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।

- (ख) आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की गहन जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि की अपेक्षाओं को ध्यान पूर्वक देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पद (पदों) के लिए पात्र हैं। मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि के समर्थनकारी प्रमाणपत्र / दस्तावेज मांगे जाएंगे। अभ्यर्थी यह भी नोट कर लें जब भी आयोग या मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी के प्रमाणपत्र / दस्तावेज मांगे जाते हैं, उन्हें ये जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी के प्रमाणपत्र / दस्तावेज कर संवीक्षा करने के बाद यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणपत्र / दस्तावेज में सही नहीं पाया जाता है, अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- (ग) परीक्षा संबंधी प्रवेश-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (ब्योरा पैरा 12 (क) पर है), की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।
- (घ) परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर न मिले तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ

आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

- (ड) अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- (च) प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश-पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।
- (छ) प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-
- i. आधार कार्ड/ आधार कार्ड का प्रिंट आउट
 - ii. मतदाता कार्ड
 - iii. ड्राइविंग लाइसेंस
 - iv. पैन कार्ड
 - v. पासपोर्ट
 - vi. विद्यालय / कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
 - vii. नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी / उपक्रम / निजी)
 - viii. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति पंजिका
 - ix. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र
- (ज) अगर फोटो पहचान-पत्र में जन-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप में लाना होगा। प्रवेशपत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर लाए गए फोटो प्रमाण-पत्र / प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- (झ) पैरा 7(क) और 7(ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/अंडरटेकिंग/ दिव्यांगजन के फोटो पहचान-पत्र की प्रति, जैसा इसमें

निर्दिष्ट किया गया है, लाना होगा। बिना उपरोक्त दस्तावेज़ के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(ज) परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।

(ट) धुंधला फोटोग्राफ और / या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

16. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) : सरकार द्वारा मिशन मोड में की जाने वाली भर्तियों के मद्देनजर और पूरी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा किया जाएगा।

(क) दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा 16 (ड.) के अनुसार मूल दस्तावेज़ों और उनकी प्रतिलिपि के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आना होगा ।

(ख) अभ्यर्थी जिस वरीयता क्रम में नियुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें उस वरीयता क्रम में पद (पदों) / विभाग (विभागों) के लिए वरीयता इंगित करनी होगी ।

(ग) दस्तावेज़ सत्यापन के समय पुष्टि किए गए एक बार दिए गए विकल्प / वरीयता को अंतिम माना जाएगा और उसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। बाद में, अभ्यर्थियों द्वारा पद / विभाग में परिवर्तन करने के किसी अनुरोध पर, किसी भी परिपरिस्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । यदि अभ्यर्थी ने किसी पद / विभाग के लिए विकल्प नहीं दिया है, तो उसकी योग्यता स्थिति के बावजूद, उसके लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । अतः अभ्यर्थियों को विकल्प भरते समय यथोचित श्रमसाध्यता एवं सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

(घ) दस्तावेज़ सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को हाल का पासपोर्ट आकार की दो रंगीन फोटो और एक फोटो पहचानपत्र साक्ष्य मूल रूप में लाना होगा। फोटो पहचान-पत्र निम्न हो सकते हैं:-

- i. आधार कार्ड / आधार कार्ड का प्रिंट आउट
- ii. मतदाता पहचानपत्र
- iii. पैन कार्ड
- iv. पासपोर्ट
- v. ड्राइविंग लाइसेंस
- vi. विद्यालय / कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
- vii. नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी / उपक्रम / निजी)
- viii. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति पंजिका
- ix. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

(ड) अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:-

- i. मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र
- ii. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- iii. कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो परीक्षा विज्ञप्ति की अपेक्षाओं के अनुसार दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश / पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
- iv. जाति / वर्ग प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।
- v. निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो।
- vi. भूतपूर्व सैनिक(भू.पू. सै.) के लिए :
 - 1) अनुबंध-VI के अनुसार कार्यरत रक्षा कर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।
 - 2) अनुबंध-VII के अनुसार वचन-पत्र।
 - 3) सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो।
- vii. संगत दस्तावेज, यदि आयु-सीमा में छूट चाहते हैं।
- viii. केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारियों द्वारा अनुबंध-V के अनुसार प्रमाण-पत्र।
- ix. अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सरकारी / सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए।

x. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

- 1) महिला की शादी के मामले में :- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।
- 2) महिला की दूसरी शादी के मामले में :- तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा ।
- 3) महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।
- 4) दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या राजपत्र अधिसूचना ।

(च) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज़।

17. चयन का तरीका:

- (क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:-
- i. अनारक्षित: 30%
 - ii. अन्य पिछड़ी जातियाँ/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : 25%
 - iii. अजा / अजजा : 20%

- (ख) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उन पदों का उल्लेख करना होगा, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं अर्थात आशुलिपिक श्रेणी 'ग' अथवा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' अथवा दोनों ।
- (ग) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को उन पद(पदों) के लिए कौशल परीक्षा (परीक्षाएं) देने हेतु श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन पद(पदों) के लिए उन्होंने आवेदन किया है ।
- (घ) कौशल परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन यह अर्हक स्वरूप की है । आयोग द्वारा प्रत्येक पद के लिए कौशल परीक्षा में श्रेणीवार अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे । वे अभ्यर्थी जो कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर अंतिम चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा ।
- (ङ) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन और मंत्रालयों / विभागों को आबंटन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के कार्य-निष्पादन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों / विभागों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।
- (च) पदों/विभागों के लिए या तो ऑनलाइन अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय वरीयता देते समय, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सीमा सड़क संगठन के लिए शारीरिक मानकों, शारीरिक मापदंडों और चिकित्सीय मानकों की विशिष्ट अपेक्षाएं हैं । अपनी वरीयताएं / विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और सीमा सड़क संगठन में उनका नामांकन होने के पश्चात, सीमा सड़क संगठन द्वारा शारीरिक मानकों की माप, शारीरिक और चिकित्सा जांच की जाएगी । शारीरिक / चिकित्सीय मानकों इत्यादि के संबंध में सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी की गई अधिसूचना **अनुबंध -XV** पर उपलब्ध है ।
- (छ) अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों / विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है । अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प / वरीयता को अंतिम माना जाएगा और

अपरिवर्तनीय होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद / विभाग में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा।। यदि अभ्यर्थी ने किसी पद / विभाग के लिए विकल्प नहीं दिया है, तो उसकी योग्यता स्थिति के बावजूद, उसके लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को विकल्प भरते समय यथोचित श्रमसाध्यता एवं सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

- (ज) आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों / विभागों की वरीयताओं के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन करता है और एक बार पद का आबंटन कर दिया जाता है तो किसी पद की शारीरिक/चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं या किसी अन्य आवश्यकता को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों के लिए दिए गए विकल्प में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता / जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता / रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (झ) अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै और दिव्यांग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ञ) अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, अपेक्षाकृत अधिक छूट (एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन) आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे उसकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो, उसे अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित न करके आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को

योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को उसकी आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

- (ट) दिव्यांग व्यक्ति, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।
- (ठ) परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।
- (ड) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- (ढ) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा।
- (ण) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

- (त) अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय / विभाग / संगठन द्वारा कोई राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अंचल आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा स्थायी किए जाने हेतु उस आवंटित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती है।
- (थ) यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण / अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।
- (द) यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से परिणाम घोषित किए जाने से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है / करती है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

18. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहाँ अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

- क. भाग-। में अंक (अर्थात् सामान्य बुद्धिमत्ता व तर्क शक्ति)
- ख. भाग-।। में अंक (अर्थात् सामान्य जानकारी)
- ग. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
- घ. वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

19. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित सूचीबद्ध कदाचारों में से किसी में भी संलिप्त पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम	कदाचार का प्रकार	वारित
------	------------------	-------

सं.		अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे-रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना / प्रभाव प्रदर्शित करना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना / उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र आदि से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों / हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों / हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष

17	छद्मवेषन / किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर / एप / लैन / वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

(ख) आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

20. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व पद / विभाग का आबंटन करने, कदाचार में संलिप्त होने पर परीक्षा से वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ / पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016 –स्था (ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता / पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (अना. / अजा / अजजा / अपिव / आकव / दि. / भूपूसै) , (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यताका निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल। तथापि, अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र

भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा । तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

22. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थीने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

23. अयोग्यता:

कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लाँ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

24. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । विज्ञप्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपी है। किसी विवाद के होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है।

	<p>अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद(दों) के लिए पात्र हैं। मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय शैक्षिक योग्यता, जाति / श्रेणी आदि के समर्थनकारी प्रमाणपत्र / दस्तावेज मांगे जाएंगे। अभ्यर्थी यह भी नोट कर लें जब भी आयोग या मांगकर्ता / प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी के प्रमाणपत्र / दस्तावेज मांगे जाते हैं, उन्हें ये जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी के प्रमाणपत्र / दस्तावेज कर संवीक्षा करने के बाद यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणपत्र / दस्तावेज में सही नहीं पाया जाता है, अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।</p>
(घ)	<p>अजा / अजजा / अपिव / आकव / भू.पू.सै./दि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।</p>
(ङ)	<p>बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन (दि.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।</p>
(च)	<p>जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।</p>
(छ)	<p>अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा किसी भी स्तर पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।</p>
(ज)	<p>अपठनीय / धुंधले फोटोग्राफ / हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।</p>
(झ)	<p>अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।</p>
(ञ)	<p>अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड /</p>

	ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज / सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसे की सेवामुक्ति पंजिका या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें अपेक्षित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र /प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(ट)	किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन / पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ठ)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ड)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
(ढ)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग / संगठन से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग / संगठन से संपर्क करना चाहिए।
(ण)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांग (दि.) और भूतपूर्व सैनिक से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(त)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने

	<p>की अनुमति दी गई है, जिसमें "आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो" की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे नियमानुसार आयोग की परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।</p>
(थ)	<p>ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मानकों को सही / संशोधित करने के लिए एक दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-11 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हेतु जमा किए गए पिछले आवेदन (आवेदनों) को रद्द कर दिया जाएगा।</p>
(द)	<p>संशोधित / अंतिम, यथासंदर्भित ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात या 'आवेदनपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।</p>
(ध)	<p>ऑनलाइन आवेदनपत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) और 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे के होना चाहिए। यदि</p>

	अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटो के स्वीकार्य / अस्वीकार्य नमूने अनुबंध- XVI पर दिए गए हैं।
(न)	आवेदन पत्र के अंत में दी गई घोषणा पर विशेष ध्यान आमंत्रित किया जाता है। घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदनपत्र में भरे गए विवरण और घोषणापत्र की विषयवस्तु को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि दी गई जानकारी सही है और इसके बाद ही इस पर सहमत होना / हस्ताक्षर करना चाहिए। तथ्यों को छिपाने / गलत रूप से प्रस्तुत करने / गलत घोषणा करने के परिणामस्वरूप अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती
.....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
....., ग्राम/जिला/राज्य
..... के निवासी हैं, जोकि
.....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता
का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख
करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी
लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल
सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी:

संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप)
दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थी हूं (परीक्षा का नाम)
.....में बैठ रहा हूं, जिसका..... (जिले का
नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित
.....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है। मेरी
शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का
नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला
सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है।
यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित
योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस
पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा ।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं)की परीक्षा पास करने के वर्षके बारे में जानकारी।
 - ङ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
- प्रारंभिक विवरण
 - अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - घोषणापत्र ।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
- सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
 - क्रम संख्या- 1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।
 - क्रम संख्या- 2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10 वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
 - क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
 - क्रम संख्या -4: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
 - क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
 - क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
 - शिक्षा बोर्ड का नाम
 - रोल नंबर
 - उत्तीर्ण होने का वर्ष
 - क्रम संख्या -7: लिंग (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर)
 - क्रम संख्या -8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

- ज. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर । यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रमसंख्या-10: आपका ईमेल आईडी । यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम सं. 1 से 10 में दिए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या 15-से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- य. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' बदला जा सकता है। इसलिए एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध -III क (1/4)

एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र का स्क्रीनशॉट

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
1a. Aadhaar Number	<input type="text"/>
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card	
1b. Verify Aadhaar Number	<input type="text"/>
1c. Type of ID *	<input type="text" value="Driving License"/>
Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number	
1d. ID Number *	<input type="text" value="BRHPK3731M"/>
2a. Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)	
2b. Verify Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
2c. Have you ever changed Name?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
2d. New Name / Changed Name	<input type="text"/>

अनुबंध -III क (2/4)

3a. Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
• State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

अनुबंध -III क (3/4)

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

[Edit](#)

11a. Category *	<input checked="" type="radio"/> General <input type="radio"/> EWS <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> ST <input type="radio"/> SC
11b. Verify Category *	<input checked="" type="radio"/> General <input type="radio"/> EWS <input type="radio"/> OBC <input type="radio"/> ST <input type="radio"/> SC
12. Nationality *	<input type="text" value="Citizen of India"/>
13. Identification Marks*	<input type="text" value="MOLE ON RIGHT CHEEK"/>
14a. Are you a Person with Benchmark Disability? *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
14b. Type of Disability	<input type="text" value="--Select--"/>
<p>NOTE VH: Blindness and low vision. HH: Deaf and hard of hearing. OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy. Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.</p>	
14c. Disability Certificate Number	<input type="text"/>
15a. Permanent Address *	<input type="text" value="SAMPLE PERMANENT ADDRESS"/>
15b. State/ UT *	<input type="text" value="Punjab"/>

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

[Previous](#) [Save](#) [Next](#) [Reset](#) [Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

[Previous](#) [Take Draft Print](#) [Final Submit](#) [Close](#)

अनुबंध -III क (4/4)

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

[Previous](#) [Save](#) [Next](#) [Reset](#) [Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

अनुबंध-IV

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:

- क. हाल ही की (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुरानी न हो) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन की गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ। छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ टोपी, चश्मे के बिना होना चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं किया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटो के स्वीकार्य / अस्वीकार्य नमूने अनुबंध -XVI में दिए गए हैं।
- ख. जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई)

x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

ग. अर्हक शैक्षिक योग्यता का विवरण जैसे- उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशतता / सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम आदि।

2. अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉगइन करें।
3. 'नवीनतम अधिसूचना' टैब के अंतर्गत 'आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2022' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं. -1 से 14 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो ऊपर बाएं कोने में दिए गए कोने में 'पंजीकरण संशोधन' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन करें।
5. क्रम सं. -15: चयन करें कि आप आशुलिपि जानते हैं अथवा नहीं। यदि आपको आशुलिपि का ज्ञान होगा तभी आपको आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
6. क्रम सं. -16: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी प्राथमिकता दें। आप एक ही क्षेत्र में परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता क्रम में तीनों केंद्रों के लिए विकल्प दें।
7. क्रम सं. 17.1 से 17.6 : यदि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
8. क्रम सं.-18.1 से 18.5: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा सं 7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा उपलब्ध करने के लिए पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
9. क्रम सं.-19: कौशल परीक्षा के माध्यम का चयन करें, अंग्रेजी या हिंदी। बाद में कौशल परीक्षा के माध्यम के विकल्प को बदला नहीं जाएगा।
10. क्रम सं. -20: आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें, जैसे- (i) 'आशुलिपिक ग्रेड 'ग' या (ii) 'आशुलिपिक ग्रेड 'घ' या (iii) दोनों। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, बाद में उसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. क्रम सं. 21.1 से 21.2 : यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।

12. क्रम सं.-22: उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दें।
13. क्रम सं.-23: अर्हक शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण दें।
14. क्रम सं.-24: परीक्षा कि विज्ञप्ति का पैरा **21** देखें और तदनुसार भरें।
15. क्रम सं. -25, 26 और 27 : वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
16. अपना हाल ही का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुराना न हो) जैसा कि क्रम सं. -1क में निर्दिष्ट है। धुंधली फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। फोटो के स्वीकार्य / अस्वीकार्य नमूने अनुबंध **-XVI** में दिए गए हैं।
17. उपरोक्त क्रम सं. **1 ख** पर विनिर्दिष्टानुसार अपने हस्ताक्षर का नमूना अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
18. क्रम सं. 28 : अपलोड किया गया फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अपलोड किया गया फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं है तो 'yes' क्लिक करें।
19. परीक्षा में बैठने हेतु अपने द्वारा दिए जाने वाले घोषणापत्र का अवलोकन करें और यदि सहमत हों तो "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरें।
20. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। अपने द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करें और उसका सत्यापन करें। यदि आप किसी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो **'Edit/Modify'** बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन करें। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन करें और सत्यापित करें और आवेदन जमा करें।
21. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
22. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान बनवाकर एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है।
23. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिया जाएगा, तो इसे **'अंतिम रूप से'** स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। सामान्यतः किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की

आवश्यकता नहीं होती है, तथापि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित शिकायत का समाधान हेतु आपको इसका प्रिंटआउट देना पड़ सकता है।

अनुबंध-IV क (1/5)

Stenographer Grade 'C' & 'D' Examination, 2022	
Instructions	
PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM	
1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name:	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):	02/01/1999
6. Age as on 01/01/2022:	22.11
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	No
9.1. If Yes, Type of Disability:	

अनुबंध-IV क (2/5)

10. Nationality:	<input type="text" value="Citizen of India"/>
11. Mark of Visible Identification:	<input type="text" value="MOLE ON RIGHT CHEEK"/>
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	<input type="text" value="Central Board of Secondary Education (CBSE)"/>
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	<input type="text" value="301739"/>
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	<input type="text" value="2013"/>
15. Do you possess knowledge of Stenography?: *	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
16. Preference of Examination Centres: *	<input type="text" value="NR-Delhi(2201)"/> <input type="text" value="NR-Jaipur(2405)"/> <input type="text" value="NR-Bikaner(2404)"/>
Please see Para - 12 of the Notice	
17.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
17.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	<input type="text"/>
17.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	<input type="text"/>
17.4. Length of service in the Armed Forces:	<input type="text"/>
17.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM):	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para-5 (e)	

अनुबंध-IV क (3/5)

17.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):	<input type="text"/>
18.1. Whether suffering from Cerebral-Palsy:	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
18.2. Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination.):	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
18.3. Whether scribe is required?: Please see Para - 7 of the Notice	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
18.4. Will you make your own arrangement of Scribe?:	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
18.5. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:	<input type="text" value="Please Select"/>
19. Medium of Skill Test: *	<input type="text" value="English"/>
Confirm Medium of Skill Test:	<input type="text" value="English"/>
20. Post(s) Applying for: *	<input type="text" value="Stenographer Grade 'C'"/>
Confirm Post(s) Applying for:	<input type="text" value="Stenographer Grade 'C'"/>
21.1. Whether seeking Age Relaxation?: *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
21.2. If Yes, indicate code: Please see Para - 5(c) of the Notice	<input type="text" value="--Select Age Relaxation Code--"/>

अनुबंध-IV क (4/5)

22. Highest Qualification: *	<input type="text" value="BA (Hons.)(6)"/>					
23. Details of Qualifying Educational Qualification:*	<input type="text" value="12th Standard"/>					
Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="Delhi"/>	<input type="text" value="Central Board of Second:"/>	<input type="text" value="22019823"/>	<input type="text" value="69"/>	<input type="text"/>
24. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? *		<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No				
Please see Para - 21 of the Notice						
25. Correspondence Address:		Sample Permanent Address				
State:		Punjab				
District:		Patiala				
Pin:		140401				
26. Permanent Address		Sample Permanent Address				
State:		Punjab				
Pin:		140401				
Mobile Number:		8111111111				

अनुबंध-IV क (5/5)

Email:

27. Contact Details for Other Nationals:

Photograph And Signature

Upload a photograph taken on or after 20-May-2022*

Please refer to the Notice of Examination, Annexure-XVI

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)

SamplePhot...hwithdate.jpg



Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)

SampleSignature.jpg



28. Whether the photograph has been taken on or after 20-May-2022?: Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.

3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.

I Agree



Try Another

JQUAW

Preview

Reset

Close

अनुबंध-V

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी
_____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो
_____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर अंतिम
तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्षकी नियमित सेवा कर चुके हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध-VI

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
(नंबर) _____ (रैंक) _____
(नाम) _____ (दिनांक) _____ को
सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:
हस्ताक्षर)

(कमान अधिकारी के

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

अनुबंध -VII

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं
.....

अनुक्रमांक

.....परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में
उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय रैंक पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ;अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको ..

..... कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको ..

..... कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:
ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-VIII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____
निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित
जाति/जनजाति से संबन्धित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

@ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश,
1951 _____

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य

अधिनियम, 1986, गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ।]

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@ संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@ संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती
_____ निवासी _____

ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित
जनजातिप्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो
_____ जाति/जनजाति से संबंधित हैंजो _____ दिनांक
_____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र मेंअनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
_____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य / संघ शासित क्षेत्र*

स्थान _____

दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की
सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट /तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

(+प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

अनुबंध-IX

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
सुपुत्र/सुपुत्री _____

ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ----- दिनांक -----* के
अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० ----- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः-----
----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक
8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 9 मार्च, 2004,
का.स. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं.
36033/1/2013-स्था(रिज), दिनांक 27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3
में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर.....
पद.....

दिनांक:
मुहर

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय और का पर यथा संशोधित

\$ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध- X

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी

स्थायी निवासी _____ गाँव/गली

डाकघर _____ जिला

राज्य/संघ राज्य-

क्षेत्र _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो

नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष
..... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8

लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :***

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी के हाल ही
का पासपोर्ट आकार
अनुप्रमाणित
फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

अनुबंध -XI

प्रारूप-V

निशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
डाकघर -----जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -----निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ----- (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- % (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का	जारी करने की	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
-------------	--------------	---------------------------------------

स्वरूप	तारीख	का ब्यौरा
--------	-------	-----------

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध- XII

प्रारूप-VI

निशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निशक्तता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी
का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही
का पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो (केवल
चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----

----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि

----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----

पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----

डाकघर -----जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं,

जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं

संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निशक्तता का है। उनकी शारीरिक निशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			

17.	मल्टीपल सूलेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निश्चिता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख).... (माह)(वर्ष)तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का	जारी करने की	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले
-------------	--------------	----------------------------

स्वरूप	तारीख	प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XIII

प्रारूप-VII

निशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि
----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली -----
डाकघर -----जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं
और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और
मैं संतुष्ट हूं कि वे निशक्तता से पीड़ित हैं।उनकी
शारीरिक निशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश
संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) के अनुसार
निम्नलिखित इंगित निशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और
उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता(%में)

1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन निश्कृतताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निश्कृतता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख).... (माह)(वर्ष)तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है

जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,

तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/

सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशुल्कता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XIV

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कोड :

शैक्षिक योग्यता	कोड
इंटरमीडिएट/उच्चतर माध्यमिक/12वीं कक्षा	02

प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	03
डिप्लोमा	04
बीए	05
बीए (ऑनर्स)	06
बी.कॉम.	07
बी.कॉम. (ऑनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (ऑनर्स)	10
बी.एड.	11
एलएलबी	12
बीई	13
बी.टेक.	14
एएमआईई (भाग-ए & भाग-बी)	15
बी.एससी. (इंजी.)	16
बीसीए	17
बीबीए	18
सशस्त्र सेनाओं द्वारा जारी मानद स्नातक प्रमाणपत्र	19
पुस्तकालय स्नातक.	20
बी.फार्मा.	21
आईसीडब्ल्यूए	22
सीए	23
पीजी डिप्लोमा	24
एमए	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एमएड.	28
एलएलएम	29
एमई	30
एम.टेक.	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एमसीए	33
एमबीए	34
अन्य	35

सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की "अनुसूची-1" के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केन्द्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा।

2. शारीरिक मापदंड: जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की "अनुसूची-1" में उल्लेख किया गया है।

3. (क) चिकित्सा मानक : अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की 'अनुसूची-1' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच: इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उल्लेख उत्तरवर्ती उप पैरा में किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफकेन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के

चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे तथा अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफकेन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद चिकित्सा बोर्ड द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो संबंधित भर्ती केन्द्र अथवा जीआरईएफकेन्द्र के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानतः चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अन्दर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) अस्थायी रूप से 'अनफिट'- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुनः 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट-
शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट'

घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि जीआरईएफकेन्द्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने के माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी। पुनः मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ix) स्थायी रूप से 'अनफिट' - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:

(क) चिकित्सा कारणों से स्थाई रूप से 'अनफिट' - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा

परीक्षा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेन्द्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुनः चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफकेन्द्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम(एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी।

(x) दृष्टि संबंधी मापदंड- दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं

होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(xi) शल्य चिकित्सा- यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है(उदाहरणतः हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोटॉमी , कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात् 2 माह के भीतर । ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) चिकित्सा योग्यता :इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है । सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं ।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन होगा । निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा ।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यक्षीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा ।

(iv) जीआरईएफकेंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा ।

4. अभ्यर्थिता रद्द करना: यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी । इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. नियमों में छूट की शक्ति: जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची-1

शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह 'ख' अराजपत्रित तथा समूह 'ग' पदों के लिए)			
क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा पास करनी अनिवार्य है।	10 मिनट
<p>नोट -(i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है।</p> <p>(ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।</p>			

अनुसूची-II

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	सम्मिलित राज्य /क्षेत्र	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मध्य अंतर्राज्य सीमा के दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र तथा मुकेरियन होशियारपुर की सड़क के उत्तर एवं पूर्व की ओर के क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़), उत्तराखंड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिले तथा अण्डमान निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़,	162.5	न्यूनतम	50 किग्रा.

	के मैदानी क्षेत्र	दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	सेमी	76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखण्ड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुद्दुचेरी, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/पूर्व जीआरईएफ कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
ज	डीडी मामलों में छूट (अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू परंतु अन्य संबंधियों के लिए लागू नहीं)		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)		152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना	47.5किग्रा.

			फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	
--	--	--	--------------------------------------	--

अनुसूची-III

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को पर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी की राय में विशेष रूप से ऊंचाई वाले और कठिन क्षेत्रों में भर्ती करने के लिए उसे कोई शारीरिक संरचना संबंधी अथवा अधिग्रहित विकलांगता न हो। अन्यथा उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामांकन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं। चिकित्सा जांचकर्ता अभ्यर्थी के किसी दोष से संबंधित टिप्पणी हस्तलेख में दर्ज करेगा।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2क

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। जीआरईएफ/मेड/2क की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मदों को चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2क द्वारा पूरा किया जाएगा।
5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टियों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ घोर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं।
6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमी पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों के चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)
- ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।
- ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई असामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।
- घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।
- ङ. कि वह ग्रंथियों की सूजन से पीड़ित नहीं है।
- च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।
- छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।
- ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।
- झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।
- ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।
- ट. कि उसमें किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसेकोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।
- ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।
- ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगा:-

- क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)
- ख. असामान्य चाल

- ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लाडोसिस)
- घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, सपाट पैर)
- ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि
- च. बधिरता
- छ. हकलाना
- ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है हाईपरथायरोडिसिस और टैकीकार्डिया (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)
- झ. यौन संचारित रोग
- ञ. किसी भी स्तर का भ्रूणपन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना
- ट. वर्णांधता के मामले
- ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस
- ड. कान के पर्दे में छेद
- ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका
- ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत
- त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण
- थ. अंतःस्त्रावी विकार
- द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप > 140/95mm Hg)
- ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले
- न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन
- प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो
- फ. स्थाई टैटू केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर ही अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/

अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थायी रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

9. अस्थायी रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैं:-

- क. प्टेरिजियम
- ख. नेत्र शोध
- ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)
- घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III
- ङ. विपथित नासिका झिल्ली
- च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन
- छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैंच्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)
- ज. पिट्टीएसिस वेसिकॉलर
- झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि
- ञ. प्लैंटर मस्से
- ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील
- ठ. वेरीकोस वेंस
- ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर
- ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण
- ण. गाइनेकोमस्टिया
- त. रक्त क्षीणता
- थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली
- द. 30 से ऊपर वीएमआई (तीन महीने के भीतर वीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

अल्प दोष वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

- क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।
- ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)
- ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)
- घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर
- ङ. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)
- च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।
- छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा
- ज. थोड़ाहकलाना
- झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर
- ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर
- ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)
- ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता
- ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर काहैमर
- ढ. वेरीसिस का कम स्तर
- ण. टिनिआ वेर्सिकोलर
- त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)
- थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भों में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए। अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।
(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।
12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ. में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।
13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2 क में नोट किया जाए।
14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्रायः कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यतः, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ /

मेड /2 क में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण निरस्त किए गए सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

--***--

फोटोग्राफ के नमूने
स्वीकार्य फोटो



अस्वीकार्य फोटो के नमूने
बहुत नजदीक



टोपी के साथ



अत्यधिक रंगीन



धुंधले फोटो



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप के चश्मे के साथ



चेहरा एक तरफ



बहुत छोटी फोटो



चश्मे सहित

